तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./1864/2020/बूंदी** **सरकार बनाम रामेश्वर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थित :

श्री अशोक मेघवंशी, उप राजकीय अभिभाषक।
विपक्षी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं, एकपक्षीय कार्यवाही।

--

आदेश

दिनांकः– 19.07.2023

1. यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में न्यायालय जिला कलक्टर, बूंदी ने अपने आदेश दिनांक 08–08–2018 द्वारा राजस्व मंडल को प्रेषित किया गया है।

2. रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार (भू0अ0) बूंदी ने रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम भीमगंज का पुराना खसरा संख्या 104 की 9 बीघा 10 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2002 से 2008 में किस्म गैर मु0 नदी दर्ज थी। उक्त भूमि में से भू प्रबंध सम्वत 2028 से 2047 में नवीन खसरा नं0 265/206 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि को अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के गैरखातेदारी में दर्ज कर दिया गया था। उक्त भूमि प्रतिवादीगण के खाते में अवैध रूप से अंकित की गई है। उक्त भूमि डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/3 उनवान अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 02–08–2004 के निर्देशानुसार एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 88 के अन्तर्गत उक्त नए इंद्राज निरस्त योग्य है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./1864/2020/बूंदी** **सरकार बनाम रामेश्वर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	3. जिला कलक्टर बूंदी ने उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया तथा अपने निर्णय दिनांक 08–08–2018 के द्वारा स्वीकार कर मण्डल को अनुशंषा हेतु प्रेषित किया है। 4. उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात् अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया परन्तु बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। 5. हमने विद्वान राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी। 6. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नही होते हैं इसलिये मद नं0 1 में अंकित हस्तान्तरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। यह कि डी0बी सिविल जन हित याचिका सं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02–08–2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड मं दर्ज है को वापस सरकारी भूमि दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किये जाने के निर्देश है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी पुनः राजस्व रिकोर्ड में गै0मु0 नदी दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें। 7. हमने विद्वान राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स/एल.आर./1864/2020/बूंदी</u>** **सरकार बनाम रामेश्वर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सीगा मौजा भीमगंज में खसरा नं0 104 रकबा 29 बीघा गै0मु0 नदी बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2028 से 47 संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नं0 104/1 मिन 9 बीघा 10 बिस्वा, 120 मिन 8 बिस्वा, 129/1 मिन रकबा 15 बीघा के हाल खसरा नं0 206 रकबा 24 बीघा 18 बिस्वा कायम किए गए है। इसके अलावा नकल खतौनी जमाबंदी भू प्रबंध विभाग सम्वत 2028 से 47 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम भीमगंज में खसरा संख्या 206/2 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि सिवायचक लगानी दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत 2061 से 2064 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम भीमगंज में नया खाता संख्या 53 में खसरा नं0 265/206 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि रामेश्वर पुत्र मोडू के गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। नकल नक्शा ट्रेस संलग्न है इसके अलावा नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2061–2064 संलग्न है। राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से साबित है कि प्रश्नगत आराजी पूर्व में गै0मु0 नदी दर्ज थी जो बाद में अप्रार्थीगण के नाम गैर खातेदारी के नाम दर्ज कर दी गई। 8– राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार **''गै0मु0 नाला/नदी''** किस्म की भूमि ना तो आवंटन/नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (प) निम्न प्रकार हैः– "4. Land not available for allotment under these rules.- The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely- (i) Land mentioned in the section 16	

of the Rajasthan Tenancy Act, 1955"

9. इसी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधान निम्न प्रकार हैः–

16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-
Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-
(ii)Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;

10. प्रश्नगत भूमि पूर्व में **गै0मु0 नदी** की भूमि अंकित होने से उक्त आराजी धारा 16 अधिनियम, 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित आराजीयात है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2–8–2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैंः–

All land shown as drainage channels like nalla rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land. Any

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एल.आर./1864/2020/बूंदी** **सरकार बनाम रामेश्वर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act at rules must be amended accordingly.

11. उपरोक्तानुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। अतः इस प्रकार की स्थिति में न्यायालय **जिला कलक्टर, बूंदी** द्वारा मण्डल को प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रेफरेन्स किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है।

12– परिणामस्वरूप रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है तथा प्रश्नगत आराजी साबिक खसरा नं0 104 रकबा 29 बीघा जिसके हाल खसरा नं0 265/206 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि वाके ग्राम भीमगंज को पुनः राजकीय गै0मु0 नदी दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जाते हैं।

13– इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावे तथा पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ महेन्द्र लोढ़ा)
सदस्य